UPMT010049412026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा
उपस्थित : विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2139/2026
अजय जोशी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 233/2026, धारा 124(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **अजय जोशी** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिया/पीड़िता/अपनी पत्नी शिवानी पर तेजाब डालकर गम्भीर उपहति कारित करना, आपेक्षित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान निजी अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा केशव देव शर्मा में मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको गलत एवं झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई और जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज किया गया है। कथित घटना की रिपोर्ट दो दिन बाद सोचसमझकर लिखायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर कोई तेजाब नहीं डाला है, वादिनी जो आवेदक की पत्नी है, ने अन्य लोग के बहकावे के कारण फंसाया है। मुकदमा वादिनी के रितिक से प्रेम सम्बन्ध थे, इसके सम्बन्ध में कई बार अभियुक्त ने अपनी पत्नी को समझाते हुए रितिक से मिलने के लिए मना किया था। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.03.2026 को अपने घर पर अपनी पत्नी व अपने तीन बच्चों के साथ सो रहा था, जब आवेदक/अभियुक्त की नींद खुली तो लाइट जलाकर देखा तो घर का दरवाजा खुला था, उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, तब अभियुक्त ने अपनी पत्नी को तलाश करने अपने पड़ोसी रितिक के घर गया तो वहां पर अभियुक्त की पत्नी शिवानी जोशी रात के एक बजे मिली, इससे बचने के लिए मुकदमा वादिनी व रितिक ने अभियुक्त के साथ गालीगलौज करते हुए मारापीटा तथा टायलेट साफ करने वाले कैमिकल को उठाकर अपने ऊपर डालने का नाटक कर अभियुक्त को डराने का दबाव बनाया। मुकदमा वादिनी तेजाब से किसी भी प्रकार से जली नहीं, न ही उसका इलाज चल रहा है, अपनी बहन के पास आगरा में रह रही है। आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। वह दिनांक 30.03.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसको दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी शिवानी जोशी पर तेजाब डालकर उसको झुलसा दिया गया। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है।

6– अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिया/पीड़िता/अपनी पत्नी शिवानी पर तेजाब डालकर गम्भीर उपहति कारित करना, आपेक्षित है।

पीड़िता शिवानी की चिकित्सीय आख्या में A/H/O Burn from Corrosive substance (likely acid or alkali), Site of Burn– Half of face (Forehead,

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.07.02 17:13:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

Cheek, Chin), Neck, Upper part of left shoulder, left forearm, left eye, left hand and some part of right hand , Depth of brun– Epidermal layer अंकित है।

केस डायरी पर चुटैल/पीड़िता शिवानी का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्क डा० आशीष सिंगल का बयान अंकित किया गया है, जिसके अनुसार घायल शिवानी पत्नी अजय जोशी को दिनांक 28.03.2026 समय 3.00 ए एम पर अस्पताल पर लाया गया था, घायल का चेहरा, पीठ, चेस्ट हाथ जले हुए थे, घायल का इलाज मेरे द्वारा किया गया था।

मामले में विवेचना प्रचलित है, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है।

स्वीकृत रूप से आवेदक/अभियुक्त में स्पष्टतः नामजद है और उसकी ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई–मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–02.07.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.ए.